प्रथम प्रत्योत्तरदाता लेखपालों के आपदा प्रबन्धन क्षमता संवर्धन हेतु जनपद स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण

प्रशिक्षण साहित्य

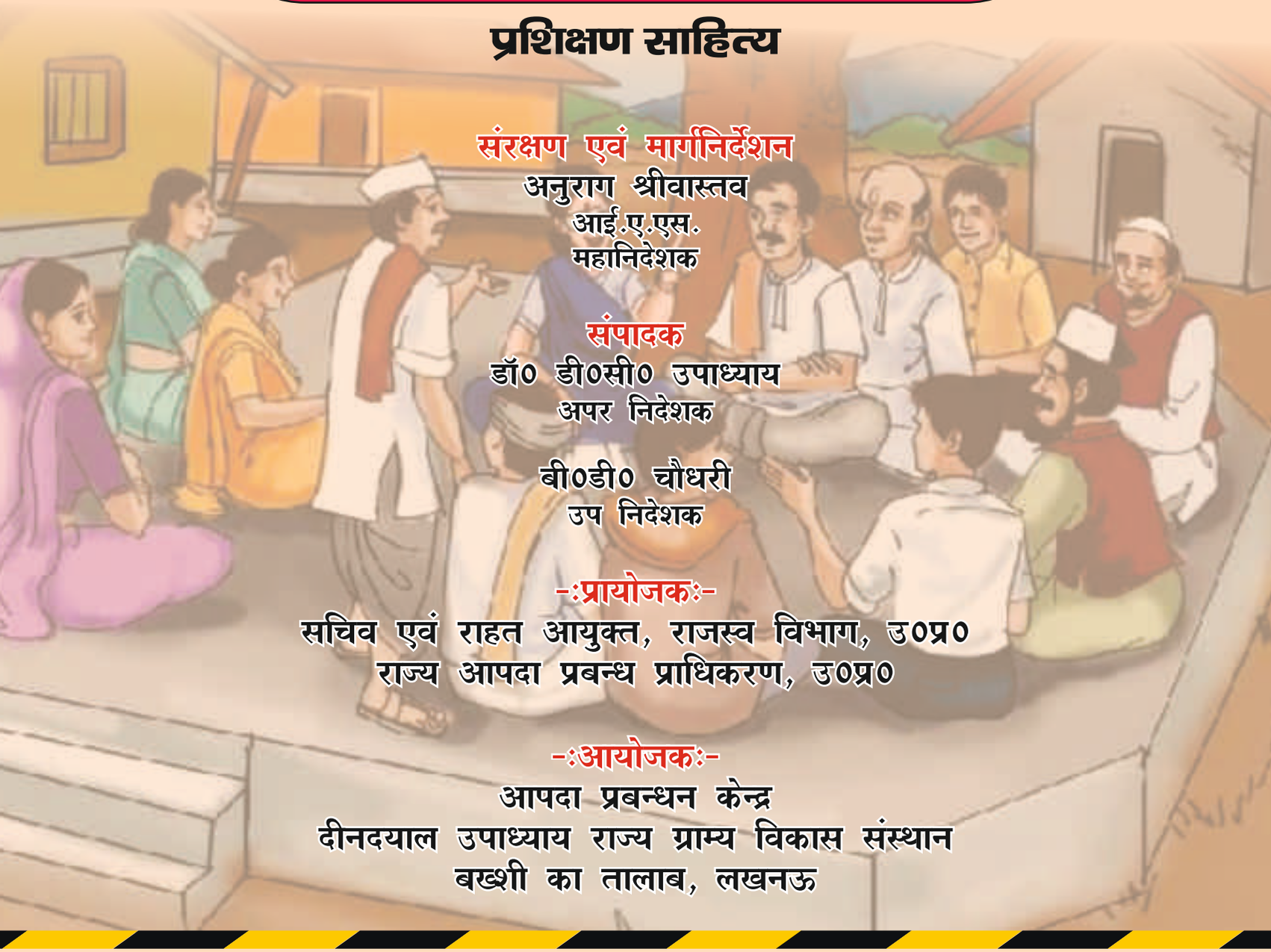

संरक्षण एवं मार्गनिर्देशन

अनुराग श्रीवास्तव
आई.ए.एस.
महानिदेशक

संपादक

डॉ० डी०सी० उपाध्याय
अपर निदेशक

बी०डी० चौधरी
उप निदेशक

-:प्रायोजक:-

सचिव एवं राहत आयुक्त, राजस्व विभाग, उ०प्र०
राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, उ०प्र०

-:आयोजक:-

आपदा प्रबन्धन केन्द्र
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ

:– मार्गदर्शक मण्डल :–

- श्री के0के0 सिन्हा, आई.ए.एस. (से.नि.), पूर्व अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, उ0प्र0
- श्री बी. पी. सिंह, आई.पी.एस. (से.नि.), पूर्व पुलिस महानिदेशक अधिष्ठान, वर्तमान सदस्य, रेरा, उ0प्र0
- श्री संजय आर. भूसरेड्डी, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, चीनी एवं गन्ना विभाग, उ0प्र0
- श्री आर0के0 पाण्डेय, आई.ए.एस., निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0
- श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप निदेशक (से.नि.), नेशनल फेसिलेटेटर, डी.ओ.पी.टी., भारत सरकार

:– संकलनकर्ता एवं सहयोगी सदस्य :–

- डॉ0 एस0 के0 सिंह, सहायक निदेशक, एस0आई0आर0डी0
- श्री मनीष चन्द्रा, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, एस0आई0आर0डी0
- डॉ0 मजहर रशीदी, प्रिंसिपल ट्रेनर, एस.डी.एम.ए., उ0प्र0
- श्री जी0के0 तिवारी, संकाय सदस्य, एस0आई0आर0डी0
- श्री हेमेन्द्र शर्मा, संकाय सदस्य, एस0आई0आर0डी0
- श्री कुमार दीपक, सलाहकार, एस0आई0आर0डी0
- डॉ0 अवधेश कुमार गंगवार, सलाहकार, एस0आई0आर0डी0
- डॉ0 नवीन कुमार सिन्हा, एस0आई0आर0डी0

: Disclaimers :

1. This resource material is developed for internal use under Act of Government not for any commercial purpose. The resources are gathered from websites and reference books mentioned in reference for welfare of citizen.
2. For provisions by Government of India and State Government please refer to the actual notifications.
3. Although the author and publisher have made every effort to ensure that the information in this resource material was correct at press time, the author and publisher do not assume and hereby disclaim any liability to any party for any loss, damage or disruption caused by errors or omissions result from negligence, accident or any other cause.
4. For technical aspects to provide relief and rescue training from recognized authorities is essential. Reader must follow specific guidelines provided by various authorised agencies from time to time.

अनुराग श्रीवास्तव
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उ0प्र0 शासन

संदेश

उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदायें होती हैं, जिनमें बाढ़, सूखा, लू, शीत लहरें, भूकम्प, अग्नि तथा सड़क दुर्घटनायें आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील है तथा आपदाओं से जन, धन व पर्यावरण की व्यापक क्षति होती है। इसमें विशेष रूप से वृद्ध महिलायें एवं बच्चे अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। आपदाओं से सामाजिक व आर्थिक विकास की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिन्हें रोका जाना संभव नही है। परन्तु कुशल आपदा प्रबन्धन के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में ग्राम तथा जिला आपदा प्रबन्धन योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्राम स्तर एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिससे विभिन्न विभागों एवं हितभागियों की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उत्तर प्रदेश के सभी लेखपालों, राजस्व विभाग के कार्मिकों व अधिकारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षित प्रशिक्षक सम्बन्धित जनपद में लेखपालों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लेखपालों का क्षमता संवर्द्धन होगा तथा वे अपने जिले की आपदाओं के प्रति जागरूक होंगें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी लेखपालों, राजस्व विभाग के कार्मिकों व अधिकारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर इस प्रशिक्षण साहित्य का निर्माण किया गया है। प्रशिक्षण साहित्य के उपयोग से आपदा प्रबन्धन से जुड़े हितभागी अपनी क्षमता संर्वद्धन कर प्रभावी आपदा के प्रभावों को न्यूनीकरण करने व राहत कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में समर्थ होंगे।

आशा है कि यह प्रशिक्षण साहित्य आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आपदा प्रबन्धन से जुड़ी संस्थाओं/संगठनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

जी.एस. प्रियदर्शी
आई.ए.एस.
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन

संदेश

उत्तर प्रदेश बहु आपदा से प्रभावित राज्य है। आपदाओं से न केवल जन–धन की क्षति होती है, बल्कि यह विकास में भी बाधक है। प्राकृतिक आपदायें विकास कार्य को अवरूद्ध कर देती हैं। यह राज्य एक ओर लगभग प्रति वर्ष बाढ़ का प्रकोप झेलता है, तो दूसरी ओर कई वर्षों से सूखा ने प्रदेश के बड़े भू–भाग को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, शीतलहर, गैस रिसाव, बोरबेल में गिरने वाली घटना तथा मानव व वन्य जीव के बीच होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित है।

उत्तर प्रदेश के सभी लेखपालों, राजस्व विभाग के कार्मिकों व अधिकारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण साहित्य के रूप में यह पुस्तिका विकसित की गयी है। यह सर्व विदित है कि किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम उत्तर दाता होता है। अतएव आपदाओं में जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबन्धन में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु जागरूक एवं सक्षम बनाने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा समुदाय स्तर पर लेखपालों के माध्यम से प्रदेश में किया जा रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य में राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन व आपदा प्रबन्धन केन्द्र, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा लेखपालों हेतु योजना बनाकर प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण को प्रभावी एवं गुणवत्तापरक बनाये जाने हेतु प्रशिक्षण साहित्य का निर्माण किया गया है, जिससे लेखपाल के माध्यम से समुदाय व स्थानीय लोगों को आपदाओं की रोकथाम, शमन एवं उनके कुप्रभावों से समुदाय में जान–माल की क्षति को कम करने हेतु जागरूक एवं सक्षम किया जा सके।

प्रशिक्षण के दौरान यह प्रशिक्षण साहित्य पुस्तिका समस्त लेखपालों को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि उनकी प्रशिक्षण के दौरान अपने जिले/क्षेत्र की आपदाओं की समझ पुख्ता हो सके एवं वे आपदा, जोखिम न्यूनीकरण प्रबन्धन की बारीकियाँ सीख सकें।

मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि इस प्रशिक्षण साहित्य पुस्तिका का सदुपयोग कर उत्तर प्रदेश के लेखपाल व राजस्व विभाग के कर्मी समुदायों में बहु आपदा के सम्बन्ध में जागरूक रह कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समुचित प्रबन्धन करने में सहयोग देंगे और राज्य के आपदा पीड़ितों की कठिनाइयों को दूर करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे।

(जी.एस. प्रियदर्शी)
आई.ए.एस.
सचिव एवं राहत आयुक्त

भूमिका

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में आपदा प्रबन्धन केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–2020 में राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित लेखपालों के आपदा प्रबन्धन क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 14220 लेखपालों को आपदा न्यूनीकरण व राहत कार्यों के सम्बन्ध में 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान व 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थानों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

जनपद स्तरीय प्रशिक्षण को संचालित करने हेतु आपदा प्रबन्धन केन्द्र दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अर्न्तगत राजस्व विभाग व संस्थान के 450 कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) आयोजित कर प्रशिक्षक के रूप मे तैयार किया जायेगा तथा ये प्रशिक्षक सम्बन्धित जनपदों में लेखपालों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत आपदा प्रबन्धन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, राहत बचाव कार्य व राज्य आपदा मोचक निधि व प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। लेखपालों की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण साहित्य भी तैयार किया गया है, जिसमें उपरोक्त बिन्दुओं को समाहित किया गया है। इस प्रशिक्षण साहित्य को तैयार करने में **श्री बी0डी0 चौधरी, उप निदेशक, डॉ0 एस0के0 सिंह, सहायक निदेशक, डॉ0 मनीष चन्द्रा, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, श्री जी0के0 तिवारी, संकाय सदस्य एवं डॉ0 नवीन कुमार सिन्हा, प्रचार सहायक** का योगदान अत्यन्त सराहनीय रहा है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं।

आशा है यह प्रशिक्षण साहित्य प्रथम प्रत्योत्तरदाता (First Responder) लेखपालों के आपदा प्रबन्धन विषयक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम व जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों तथा हितभागियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(डॉ. डी.सी. उपाध्याय)
अपर निदेशक